

FORM OF ORDER SHEET**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.****Land Ceiling Revision No.- 47/2019****Chandmani Devi & Ors Petitioners.****Versus****The State of Bihar & Ors Opposite Parties.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.09.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय, अपर समाहर्ता, किशनगंज द्वारा बंदोबस्ती अपील वाद सं0-34/2018 में दिनांक-06.02.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध Under Rule 44 of Bihar Land Ceiling Act के अंतर्गत दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निजी उत्तरवादियों द्वारा अपर समाहर्ता, किशनगंज के समक्ष उक्त अपील दायर करते हुए दावा किया गया कि मौजा-झिलमिली, थाना सं0-386, तौजी नं0-146, सिकमी खाता सं0-32, खेसरा सं0-1737, रकवा-48 डी0, खेसरा सं0-1738, रकवा-43 डी0, खेसरा सं0-1744, रकवा-1.22 एकड़ एवं खेसरा सं0-1745, रकवा-1.15 एकड़, कुल रकवा-3 एकड़ 28 डी0 कायमी खाता सं0-86 श्री लाल सिंह पिता-इश्कलाल सिंह वगैरह के नाम खतियान दर्ज हुआ। जिसका सिकमी खाता सं0-32 दर्ज है और कायमीदार बसंत कुमार इत्यादि को भू-लगान भुगतान किया जाता रहा है। सिकमीदार मेहीलाल द्वारा खेसरा सं0-1745 के कुल रकवा-1.15 एकड़ में से 0.32 डी0 भूमि विपक्षी के पूर्वज धनंजय प्रसाद सिंह के पास विक्रय संलेख सं0-4753 दिनांक-05.05.1967 द्वारा बिक्री की गई जिसपर क्रेता दखलकार हो गये। पुनः सिकमीदार मेहीलाल द्वारा खेसरा सं0-1738, रकवा-43 डी0 एवं खेसरा सं0-1744, रकवा-0.6 डी0, कुल-0.49 डी0 भूमि विक्रय संलेख सं0-5481 दिनांक-30.03.1968 द्वारा धनंजय प्रसाद सिंह के पास बिक्री की गई जिसपर ये दखलकार हैं। सिकमीदार मेहीलाल द्वारा खेसरा सं0-1745, रकवा-83 डी0 वर्ष 1967 में धनंजय प्रसाद के पास पुनः बिक्री की गई। इस प्रकार क्रेता कुल-01 एकड़ 64 डी0 पर दखलकार हैं। धनंजय कुमार सिंह अपने पीछे विधवा सुलेखा देवी एवं दो पुत्र एक पुत्री को छोड़कर गुजर गये। अगस्त 2018 को आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि का पूर्व में लालकार्ड प्राप्त होने के आधार पर उन्हें खाली करने की धमकी दी गई। विपक्षी द्वारा सिलिंग वाद सं0-72/1976-77 की सच्ची प्रति प्राप्त की गई जिसमें यह स्पष्ट है कि रणवीर प्रसाद सिंह के नाम बंदोबस्ती परवाना</p>	

	<p>निर्गत है। तत्पश्चात् इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त अपील दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए अपील को स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, बहादुरगंज को 1.64 एकड़ से संबंधित क्रमशः</p> <p>बंदोबस्ती परवाना में तदनुसार संशोधन करने का आदेश पारित किया गया जो सही नहीं है।</p> <p>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। समाहर्ता, किशगनंज द्वारा वाद सं0-74 / 1989-90 जो विपक्षियों द्वारा दायर किया गया था में दिनांक-08.04.1991 को पारित आदेश जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सिलिंग वाद सं0-83 / 1990 (राजू लाल मंडल बनाम बिहार राज्य) को पुर्णजीवित नहीं किया जा सकता है। इन तथ्यों को छिपाते हुए विपक्षियों द्वारा निम्न न्यायालय में 27 वर्षों बाद उक्त वाद दायर किया गया। बंदोबस्ती परवाना के आधार पर रणवीर प्रसाद सिंह द्वारा प्रश्नगत भूमि का भू-लगान भुगतान किया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि सिकमी भूमि हस्तांतरणीय नहीं होता है। विपक्षी द्वारा स्थानीय हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर दखल संबंधी झूठा प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>दूसरी तरफ विपक्षी सं0-02 से 04 तक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद कालबाधित होने तथा तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत भूमि बसंत कुमार की है। जिसमें श्री लाल सिंह एवं मेहीलाल सिंह खतियानी सिकमीदार के रूप में जोत-आबाद कर पैदावार भू-स्वामी को देते रहे। स्थानीय प्रचलित प्रथा के अनुसार सिकमीदार मेहीलाल सिंह द्वारा प्रश्नगत खाता खेसरा से विभिन्न विक्रय संलेख के माध्यम से कुल रकवा-1.64 एकड़ भूमि धनंजय सिंह को बिक्री करते हुए दखल प्रदान किया गया, जिसे भू-स्वामी द्वारा भी स्वीकार किया गया एवं उनके द्वारा भू-लगान प्राप्त किया जाता रहा। धनंजय प्रसाद सिंह की मृत्यु पश्चात् उनके वैध वारिसानों का उक्त भूमि पर दखल-कब्जा कायम है। आवेदक एवं विपक्षी एक ही पूर्वज के वंशज हैं। आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अपने पक्ष में बंदोबस्ती परवाना प्राप्त किया गया है। आवेदकों के द्वारा उक्त भूमि खाली करने की धमकी दिये जाने पश्चात् विपक्षियों ने जब इसकी तहकीकात की तब इन्हें ज्ञात हुआ कि भू-स्वामी द्वारा प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार को समर्पित कर दी गई है। जिसे Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) अधिनियम की धारा 15(A) के अंतर्गत अधिग्रहित करते हुए अधिसूचना प्रकाशित की गई। आवेदक द्वारा षट्यंत्र के तहत उक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत लालकार्ड प्राप्त कर लिया है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी, बहादुरगंज से मामले की जाँच कराई गई। जिसपर इनलोगों का दखल-कब्जा प्रतिवेदित है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित</p>
--	--

	<p>आदेश सही है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष एक हीं पूर्वज के वंशज हैं एवं प्रश्नगत भूमि के स्वामी बसंत कुमार हैं तथा श्रीलाल सिंह एवं मेहींलाल सिंह खतियानी सिकमीदार हैं। आवेदिका द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बंदोबस्ती परवाना के आधार पर, जबकि विपक्षियों द्वारा</p> <p style="text-align: right;">क्रमशः</p> <p>सिकमीदार रैयत मेहींलाल सिंह से प्राप्त विभिन्न विक्रय संलेख के आधार पर दावा किया जा रहा है। विपक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आवेदिकों द्वारा जब उक्त भूमि खाली करने की धमकी दी गई तब इन्हें ज्ञात हुआ कि भू—स्वामी द्वारा प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार को समर्पित कर दी गई है जिसे Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) अधिनियम की धारा 15(A) के अंतर्गत अधिग्रहित करते हुए अधिसूचना प्रकाशित की गई। प्रश्नगत भूमि के क्रेता द्वारा अधिशेष घोषित भूमि की अधिसूचना के विलोपन हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई किये जाने का कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। जबतक उक्त अधिसूचना का विलोपन नहीं हो जाता है तबतक विधिवत् अधिग्रहित भूमि की बंदोबस्ती परवाना आवेदिका के पति के पक्ष में वैध एवं मान्य है। बंदोबस्ती वाद सं0—72/1976—77 द्वारा रणवीर प्रसाद सिंह के नाम बंदोबस्ती परवाना निर्गत है जिसे विपक्षी द्वारा षड्यंत्रपूर्वक लालकार्ड प्राप्त करना बताया जा रहा है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि सिकमी हक हस्तांतरणीय नहीं है। यद्यपि सिकमी भूमि हस्तांतरणीय नहीं है तथापि स्थानीय प्रचलित प्रथा को मान भी लिया जाय तब भी आवेदिका के पति के पक्ष में निर्गत बंदोबस्ती परवाना के अस्तित्व में बने रहने की स्थिति में इनके हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। जबतक इनके पक्ष में बंदोबस्ती परवाना अस्तित्व में है तबतक प्रश्नगत भूमि पर इनके स्वामित्व एवं दखल से इंकार नहीं किया जा सकता है। परवाना के आधार पर रणवीर प्रसाद सिंह द्वारा प्रश्नगत भूमि का भू—लगान भुगतान किया जाता रहा। विपक्षी का यह दावा कि आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अपने पक्ष में बंदोबस्ती परवाना प्राप्त किया गया है जो साक्ष्य समर्थित एवं स्वीकार योग्य नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित।</p>	
	<p>लगातार 29.09.2023</p>	

	आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।
--	--	--

Web Copy. Not Official.